भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 260

21 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: हल्दी का उत्पादन और उत्पादकता

260. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान हल्दी के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का राज्य-वार, विशेषकर निजामाबाद, जगतियाल और निर्मल जिलों सहित तेलंगाना का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में हल्दी के उत्पादन में वृद्धि या गिरावट के कारणों का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो वर्षा, रकबे में बदलाव, आदान लागत, कीट/रोग का प्रकोप, बाजार मूल्य और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे जैसे कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्रीय योजनाओं के तहत तेलंगाना में सहायता प्राप्त हल्दी किसान उत्पादक संगठनों, क्लस्टरों, प्रसंस्करण इकाइयों, सुखाने वाले यार्डों, भंडारण सुविधाओं और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने हल्दी किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, निर्यात गुणवत्ता और बाजार संपर्क में कमियों का आकलन किया है; और

(ङ) विशेषकर तेलंगाना में हल्दी उत्पादकों के लिए मूल्य संवर्धन, वैज्ञानिक खेती, कटाई के बाद सहायता और बाजार पहुंच के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान हल्दी के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता/उपज का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है तथा निजामाबाद, जगतियाल और निर्मल जिले सहित तेलंगाना राज्य के लिए जिलावार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख): हाल ही के वर्षों में देश में हल्दी के क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि देखी गई है। कुल मिलाकर, अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और कीटों एवं रोगों के कम प्रकोप ने उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, हल्दी के उच्च बाजार मूल्यों ने किसानों को अधिक क्षेत्र में खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे हल्दी के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। पिछले पांच वर्षों में हल्दी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में हल्दी का वार्षिक औसत मूल्य नीचे दिया गया है:

प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों में हल्दी की वार्षिक औसत मूल्य				
				(मूल्य रुपये/क्विंटल में)
वर्ष	**तेलंगाना-निज़ामाबाद**	**तमिलनाडु-इरोड**	**महाराष्ट्र (राज्य औसत)**	**केरल - कोच्चि**
2021-22	6375	7173	8488	11708
2022-23	5900	6774	7394	10958
2023-24	9526	9582	11156	12542
2024-25	12061	14341	14089	17500
2025-26	12447	12173	13483	16500
स्रोत: सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केरल				

(ग): मसाला बोर्ड और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की पहलों के माध्यम से, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के द्वारा बुनियादी ढांचा स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निर्यात विकास योजना के लिए प्रगतिशील नवोन्मेषी और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में सततता (एसपीआईसीईडी) के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, हल्दी बॉयलर, मसाला पॉलिशर आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तेलंगाना सरकार के बागवानी विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तेलंगाना में केंद्रीय योजनाओं के तहत समर्थित हल्दी किसान उत्पादक संगठनों, कलस्टरों, प्रसंस्करण इकाइयों, सुखाने वाले यार्डों, भंडारण सुविधाओं और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या नीचे दी गई है:

तेलंगाना में पिछले 5 वर्षों में मसाला बोर्ड और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित हल्दी योजनाओं का विवरण।

वर्ष	हल्दी के लाभार्थियों की संख्या	हल्दी एफपीओ की संख्या	फसलोपरांत मशीनरी		कलस्टर	प्रसंस्करण इकाइयाँ	सुखाने वाले यार्ड	भंडारण की सुविधाएं	प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ	केयर और क्योर केंद्र
			बॉयलर	पॉलिशर						
2021-22	204	8	58	146	-	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2022-23	107	4	29	78	-	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2023-24	103	4	39	64	निजामाबाद	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2024-25	89	4	33	56	निजामाबाद	4	शून्य	शून्य	शून्य	1
2025-26	118	9	46	72	निजामाबाद	9	शून्य	शून्य	1	शून्य

स्रोत: बागवानी विभाग, तेलंगाना सरकार

(घ): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)- भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), द्वारा दी गई सूचना के अनुसार- हल्दी क्षेत्र में चिह्नित की गई प्रमुख प्रौद्योगिकी/बुनियादी ढांचा की कमियों में उच्च स्तरीय मूल्यसंवर्धन के अवसरों की कमी, पता लगाने योग्य प्रणालियों की कमी और प्रसंस्करण में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों का सीमित उपयोग, प्रसंस्कृत उत्पादों के दीर्घकालिक भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधाओं की कमी, हल्दी के लिए गुणवत्ता-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणालियों का अभाव, क्लस्टर-आधारित हस्तक्षेपों के एकत्रीकरण और कुशल संचालन में चुनौतियां और निर्यात बाजार परिज्ञान की उपलब्धता और समयबद्धता में सीमाएं शामिल हैं।

(ङ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम), सॉइल हेल्थ कार्ड, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से हल्दी के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। एमआईडीएच के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा तेलंगाना सहित विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन स्थापित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से कई उत्पादन-उन्मुख कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। एमआईडीएच में विपणन बुनियादी ढांचा और मशीनीकरण के निर्माण के लिए विशेष घटक हैं, जो हल्दी पर भी लागू होते हैं।

भारत सरकार ने हल्दी के उत्पादन, विकास और मूल्यसंवर्धन को बढ़ावा देने; घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खपत को बढ़ाने; हल्दी के निर्यात के लिए बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स के निर्माण और सुधार को सुविधाजनक बनाने; और हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास का समर्थन करने के लिए वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई।

केंद्रीय किस्म विमोचन समिति की अधिसूचनाओं के आधार पर, आईसीएआर-आईआईएसआर और आईसीएआर-अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीएस) ने तेलंगाना के लिए उपयुक्त हल्दी की निम्नलिखित किस्में विकसित की हैं: आईआईएसआर प्रगति, लाम स्वर्ण (एलटीएस-2), आईआईएसआर सूर्य, रोमा, सुरोमा, सुगुण, सुदर्शन, सुवर्ण, रश्मी और दुग्गीराला रेड। इन किस्मों में पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक उपज क्षमता है और ये तेलंगाना में हल्दी की उत्पादकता बढ़ा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, इन दोनों संस्थानों ने राज्य के लिए उपयुक्त कई प्रौद्योगिकियां और किस्में विकसित और अनुशंसित की हैं, जैसे कि पौधों के बीच उचित दूरी का सुझाव, उर्वरक का सुझाव, ड्रिप सिंचाई को अपनाना, जैविक खेती के तहत पोषक तत्व प्रबंधन, सिंगल बड प्रो-ट्रे प्रवर्धन तकनीक, ट्राइकोप्राइम के साथ बीज प्रकंद प्राइमिंग, हल्दी के लिए अच्छी कृषि पद्धतियां (जीएपी), कटाई के बाद स्वच्छ प्रसंस्करण और जैविक और अजैविक तनाव से बचाव के लिए पैकेजिंग।

अनुबंध- I

'हल्दी के उत्पादन और उत्पादकता' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 260 के भाग (क) में संलग्न विवरण

हल्दी का राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता/उपज

(क्षेत्र: ए (हेक्टेयर में), उत्पादन: पी (मीट्रिक टन में), उत्पादकता या उपज (वाई) = उत्पादन / क्षेत्र (मीट्रिक टन/हेक्टेयर में)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25			वर्ष 2025-26 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)		
	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई	ए	पी	वाई
आंध्र प्रदेश	25.59	74.69	2.92	33.42	73.52	2.20	22.37	38.03	1.70	22.59	40.66	1.80	23.61	42.50	1.80
अरुणाचल प्रदेश	0.47	1.24	2.67	0.48	2.46	5.10	0.56	1.70	3.05	0.73	2.97	4.05	0.73	2.97	4.05
असम	16.59	21.49	1.29	17.56	23.33	1.33	17.15	57.46	3.35	17.57	59.56	3.39	18.02	62.13	3.45
बिहार	2.74	2.80	1.02	2.73	2.82	1.03	2.03	2.09	1.03	1.40	2.03	1.45	1.40	2.03	1.45
छत्तीसगढ	1.04	1.30	1.25	0.87	1.08	1.24	0.69	0.85	1.24	1.10	1.11	1.01	0.54	0.65	1.22
गुजरात	4.95	19.20	3.88	5.18	20.21	3.90	5.39	25.05	4.65	5.56	22.23	4.00	5.84	23.34	4.00
हरियाणा	1.05	2.94	2.81	0.29	0.62	2.17	0.18	0.42	2.36	0.14	0.25	1.83	0.25	4.50	18.00
हिमाचल प्रदेश	0.45	0.74	1.63	0.45	0.74	1.63	0.43	0.70	1.62	0.62	1.00	1.62	0.62	1.00	1.62
जम्मू और कश्मीर	0.01	0.01	2.00	0.01	0.01	1.00	0.01	0.01	1.00	0.00	0.01	1.25	0.01	0.01	1.00
झारखंड	0.84	3.24	3.84	0.99	3.92	3.96	0.97	3.85	3.97	0.98	3.80	3.88	0.97	3.86	3.97
कर्नाटक	19.40	110.03	5.67	19.57	119.39	6.10	12.17	66.83	5.49	14.71	82.75	5.63	15.81	106.66	6.75
केरल	2.20	7.40	3.36	2.16	6.54	3.02	2.05	6.15	3.00	2.20	6.74	3.07	2.21	6.79	3.07
मध्य प्रदेश	20.53	74.65	3.64	22.42	82.43	3.68	25.06	92.55	3.69	26.50	96.13	3.63	26.83	97.80	3.64
महाराष्ट्र	102.67	367.84	3.58	88.32	323.22	3.66	85.15	310.01	3.64	87.63	307.14	3.50	97.55	339.80	3.48
मणिपुर	2.32	5.58	2.41	2.32	4.97	2.15	2.27	5.39	2.38	1.23	2.97	2.41	1.18	2.86	2.43
मेघालय	3.02	3.79	1.25	3.61	4.62	1.28	3.51	4.47	1.27	4.21	5.39	1.28	4.90	6.28	1.28
मिजोरम	7.74	29.82	3.85	7.74	29.82	3.85	8.08	29.98	3.71	10.48	32.39	3.09	10.48	32.39	3.09
नागालैंड	0.64	1.81	2.84	0.65	1.88	2.90	0.65	1.88	2.90	0.64	1.86	2.89	0.64	1.86	2.89
ओडिशा	31.17	68.83	2.21	31.24	69.10	2.21	33.36	73.75	2.21	34.90	77.53	2.22	35.03	78.13	2.23
पंजाब	0.91	3.34	3.66	0.97	3.54	3.66	1.05	3.87	3.67	1.14	4.21	3.68	1.14	4.21	3.68
राजस्थान	0.19	1.23	6.60	0.29	2.10	7.23	0.06	0.27	4.98	0.09	0.48	5.29	0.12	0.75	6.21
सिक्किम	5.02	15.53	3.10	5.02	15.53	3.10	5.02	15.53	3.10	5.01	15.44	3.08	5.01	15.44	3.08
तमिलनाडु	24.17	124.92	5.17	24.75	136.37	5.51	23.15	139.44	6.02	26.38	167.08	6.33	29.53	187.10	6.34
तेलंगाना	**34.78**	**216.55**	**6.23**	**22.74**	**173.61**	**7.63**	**14.17**	**113.73**	**8.02**	**17.10**	**97.52**	**5.70**	**20.28**	**112.41**	**5.54**
त्रिपुरा	1.70	2.06	1.22	1.83	2.36	1.29	1.83	2.38	1.30	1.83	2.38	1.30	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	2.25	6.64	2.95	2.30	6.87	2.99	2.42	7.75	3.21	3.26	12.88	3.95	3.31	13.16	3.97
उत्तराखंड	1.79	3.04	1.70	3.15	5.63	1.79	3.26	5.49	1.68	3.25	5.39	1.66	3.26	5.39	1.66
पश्चिम बंगाल	18.77	50.94	2.71	19.69	53.07	2.69	19.78	53.39	2.70	19.66	53.23	2.71	19.70	53.37	2.71
अन्य	0.05	0.08	1.74	0.08	0.25	3.14	0.06	0.23	4.15	0.05	0.22	4.31	0.05	0.17	3.44
अखिल भारतीय कुल योग	**333.02**	**1221.72**	**3.67**	**320.78**	**1169.98**	**3.65**	**292.83**	**1063.22**	**3.63**	**310.96**	**1105.32**	**3.55**	**329.00**	**1207.53**	**3.67**

स्रोत बागवानी सांख्यिकी इकाई (एचएसयू), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अनुबंध- II

'हल्दी के उत्पादन और उत्पादकता' के संबंध में दिनांक 21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 260 के भाग (क) में संलग्न विवरण

तेलंगाना में जिले-वार हल्दी का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता/उपज

(क्षेत्रफल: ए (हेक्टेयर में), उत्पादन: पी (मीट्रिक टन में), उत्पादकता या उपज (वाई) = उत्पादन / क्षेत्र (मीट्रिक टन/हेक्टेयर में)

	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			वर्ष 2024-25			वर्ष 2025-26 (द्वितीय अग्रिम अनुमान)		
ज़िला	**ए**	**पी**	**वाई**	**ए**	**पी**	**वाई**	**ए**	**पी**	**वाई**	**ए**	**पी**	**वाई**	**ए**	**पी**	**वाई**
निजामाबाद	**12.71**	**78.53**	**6.18**	**8.87**	**65.75**	**7.41**	**7.71**	**45.58**	**5.91**	**9.29**	**57.37**	**6.18**	**9.55**	**58.94**	**6.18**
जगतियाल	**8.78**	**56.40**	**6.42**	**5.95**	**55.81**	**9.39**	**3.25**	**40.25**	**12.40**	**3.93**	**20.41**	**5.19**	**5.68**	**25.64**	**4.51**
निर्मल	**5.54**	**32.86**	**5.93**	**4.78**	**33.05**	**6.92**	**2.21**	**21.04**	**9.53**	**2.25**	**11.66**	**5.19**	**2.24**	**13.85**	**6.17**
विकाराबाद	1.28	6.31	4.94	0.72	4.65	6.42	0.44	2.21	5.04	0.65	3.20	4.94	1.57	7.73	4.94
हनुमानोन्डा	1.03	7.61	7.41	1.08	5.56	5.17	0.15	1.54	9.99	0.35	1.73	4.94	0.35	1.67	4.77
वारंगल	2.32	17.16	7.41	0.27	1.69	6.36	0.09	0.77	8.75	0.15	0.75	4.94	0.15	0.75	4.96
महबुबाबाद	1.78	9.69	5.44	0.47	3.00	6.42	0.11	0.57	5.34	0.15	0.74	4.94	0.15	0.74	4.93
संगारेड्डी	0.21	1.27	5.91	0.08	0.50	5.93	0.04	0.32	8.03	0.08	0.41	5.19	0.12	0.62	5.24
पेद्दापल्ली	0.26	1.58	6.16	0.11	0.66	6.18	0.05	0.39	8.02	0.06	0.31	5.19	0.12	0.59	4.93
जयशंकर	0.42	2.58	6.18	0.18	1.34	7.35	0.05	0.43	8.04	0.09	0.44	4.94	0.07	0.45	6.18
आदिलाबाद	0.08	0.47	5.96	0.05	0.40	7.41	0.01	0.11	8.00	0.02	0.09	4.94	0.02	0.18	7.50
खम्मम	0.07	0.41	6.15	0.03	0.16	6.18	0.02	0.16	8.05	0.03	0.13	4.94	0.03	0.17	6.25
करीमनगर	0.07	0.39	5.60	0.02	0.14	5.93	0.00	0.04	8.00	0.01	0.06	4.94	0.03	0.15	4.73
राजन्ना	0.02	0.11	6.35	0.01	0.08	6.42	0.01	0.06	8.00	0.01	0.03	4.94	0.01	0.06	8.29
रंगारेड्डी	0.01	0.03	4.00	0.00	0.02	6.18	0.00	0.03	8.00	0.00	0.00	2.47	0.01	0.05	6.00
मंचेरियल	0.05	0.26	4.94	0.03	0.20	7.35	0.01	0.07	8.00	0.01	0.03	4.94	0.01	0.03	4.92
जांगोआन	0.01	0.06	5.09	0.00	0.01	5.19			0.00	0.00	0.01	4.94	0.00	0.02	18.00
सिद्दिपेट	0.00	0.02	5.00	0.00	0.01	7.35	0.00	0.00	7.41	0.00	0.00	4.94	0.00	0.01	6.34
राज्य का कुल योग (अन्य जिलों सहित)	**34.78**	**216.55**	**6.23**	**22.74**	**173.61**	**7.63**	**14.17**	**113.73**	**8.02**	**17.10**	**97.52**	**5.70**	**20.28**	**112.41**	**5.54**

नोट: उत्पादन का तात्पर्य प्रसंस्कृत (सूखी) हल्दी से है।

स्रोत: सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, केरल
